

फर्द अहकाम
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

रामरतन बंनग गिरफ्तारी का०

किरम मुकदमा दावा

मु०न० 192 / 2023

तारीख हुक्म

21/1/25 पत्रावली पेश की गई थी। पत्रावली के माध्यम से पत्रावली पेश की गई थी। 21/02/25 को पेश की गई थी।

21/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा काय स्थगन/प्र० सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश होगी।

16/4/25 पत्रावली पेश। वकील वाकी उप। Reg. वाकी म. डा. के. एस. एस. दि. 30/5/25 को पेश होगी।

30/5/25 पत्रावली पेश। वकील वाकी उप। प्रॉक्सिमेट दि. 11/7/25 को पेश होगी।

11/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा काय स्थगन/प्र० सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 2/9/25 को पेश होगी।

2/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा काय स्थगन/प्र० सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 28/10/25 को पेश होगी।

28/10/25 पत्रावली पेश की गई थी। पत्रावली के माध्यम से पत्रावली पेश की गई थी। बार-बार व्यस्त न्यायालय में अलायन लगाई गई, लेकिन कोई भी हाफिर नहीं आया। पत्रावली अदम हाफिरी अदम पेशी के माध्यम से पेश होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

स्म मुकदमा- रामरतन बनाम गिरिज बर्वा
 मु.न. 132/23
 T. 1.

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
7/25	पत्रावली पेश हुई वकीली द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगाने दी गई पत्रावली दिनांक 2/9/25 को पेश हो गई ✓	
2/9/25	पत्रावली पेश हुई वकीली द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगाने दी गई पत्रावली दिनांक 28/10/25 को पेश हो गई ✓	
28/10/25	पत्रावली प्रेषण वकील जहाँ आरु, पत्रावली में पेशी के लिए बार-बार खुले काराखाने में आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी हाफिर नहीं आया। कारण: पत्रावली अदम प्रेषण करके हाफिरी में खारिज की जाती है। ✓	
<p>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</p>		